न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 43 / 2018

बउनवान

विष्णु नागर पुत्र बिरधीलाल नागर, जाति धाकड, निवासी बामला, तहसील व जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गायल, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 25.01.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बामला तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1565 रकबा 0.20 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/– रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है तथा सरकारी भूमि से अपना कब्जा छोड दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया तथा तहसीलदार बारां से वर्तमान में अप्रार्थी के कब्जे के संबंध में रिपोट चाही गई। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बामला की आराजी खसरा नंबर 1565 रकबा 3.6[illegible] है. में से लगभग 0.32 है. आराजी पर [illegible] में अपीलांट का कब्जा है तथा सरसों की फसल बोने हेतु भूमि तैयार कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु नियत की गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है तथा सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 271/12 निर्णय दिनांक 17.05.2012 से बेदखल किया गया है। तहसीलदार बारां के पत्र दिनांक 02.11.2022 अनुसार अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर वर्तमान में भी अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपील में अंकित बिन्दुओं द्वारा अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसने सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। तथा विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1565 रकबा 0.20 है0 ग्राम बामला पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 271/12 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। तथा तहसीलदार बारां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में भी अपीलांट ने उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 669/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 25.01.2[illegible] प[illegible]रे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)